S.No. 5 (+) परिशिष्ट–1

अत्यावश्यक

16

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांकः प. 4(44)देव/2017 जयपुर, दिनांकः 06 फरवरी, 2018

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर

विषयः– देवस्थान विभाग के मन्दिरों हेतु दान नीति, मन्दिर/धर्मस्थल निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास संबंधी नीति एवं मन्दिरों में कार्यक्रम आयोजन संबंधी नीति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि देवस्थान विभाग के मन्दिरों में दान पात्र रखवाये जाने, उसमें दर्शनार्थियों द्वारा दान राशि डाले जाने और उसे खोले जाने की व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाये जाने तथा दान राशि के संधारण एवं उपयोग एवं मन्दिर/धर्मस्थल निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास तथा मन्दिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई समग्र नीतियां, सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार संलग्न कर आवश्यक अनुपालना कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं। कृपया इसे देवस्थान विभाग के सभी मन्दिरों में लागू करवा कर अनुपालना की कार्रवाई सुनिश्चित करावें :–

1. देवस्थान विभाग के 'मन्दिरों में दान संबंधी नीति'।
2. देवस्थान विभाग के 'मन्दिर/धर्मस्थल निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास संबंधी नीति'।
3. देवस्थान विभाग के 'मन्दिरों में कार्यक्रम आयोजन संबंधी नीति'।

संलग्नः उपरोक्तानुसार तीन नीतियां।

भवदीय,

(कर्ण सिंह गोठवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), देवस्थान विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग
3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
4. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग

(कर्ण सिंह गोठवाल)
संयुक्त शासन सचिव

16

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

मंदिरों में दान संबंधी नीति

सामान्य तौर पर देवस्थान विभाग के मंदिरों में दान संबंधी सुव्यवस्थित नीति विद्यमान नहीं है। इस कारण मंदिरों में दानपात्र रखे जाने, उसमें दर्शनार्थियों द्वारा दान राशि डाले जाने और उसे खोले जाने की व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। इससे मंदिर को उसके विकास हेतु समुचित धनराशि भी उपलब्ध नहीं हो पाती। विभाग के अंतर्गत विद्यमान प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के 500 से अधिक मंदिरों में दान से प्राप्त होने वाली कुल राशि 1 करोड से भी कम है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार नीति बनायी जाती है।

भाग– क

–: दान अथवा जन सहयोग प्राप्त करने हेतु विभिन्न विकल्पों की सुविधा :–

विभाग द्वारा दान अथवा जन सहयोग प्राप्त करने हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध कराए जायेंगे जैसे–

1 **दान पात्र**– विभाग द्वारा अपने अधीन मंदिरों में समुचित रूप में दानपात्र रखा जायेगा। इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

- दान पात्र सुंदर तथा सहजदृश्य रूप में रखा जाना चाहिए। दानपात्र गर्भगृह के समक्ष, मण्डप में, मंदिर के भीतर के परिक्रमा पथ में रखा जाना वांछनीय होगा। इसे किसी भी रूप में पुजारी या किसी अन्य द्वारा ढका या हटाया न जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। दानपात्र के समुचित रूप में प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था पुजारी की जिम्मेदारी रहेगी।
- दानपात्र को यथासंभव आकर्षक स्वरूप में बनाने हेतु विविध प्रकार के डिजाइन्स का चयन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ इनका स्वरूप कलश की तरह, मंदिर की तरह या आकर्षक मंजूषा (पेटिका) की तरह रखा जा सकता है।

- एक मंदिर में एक से अधिक स्थान पर भी दानपात्र रखे जा सकेंगे। जिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो, वहां आवश्यक रूप से एक से अधिक दान पात्र रखे जायें। मंदिर में दानपात्र अलग–अलग मनोकामना पूर्ति हेतु अलग–अलग भी रखे जा सकते हैं, जैसे– तन, मन, धन, यश, सफलता आदि।

- दानपात्र की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये। दानपात्र को सुरक्षित रूप में ताला लगाकर सीलबन्द रूप में रखा जाएगा, जिसकी चाबी देवस्थान विभाग के निरीक्षक अथवा सहायक आयुक्त के पास होगी। दानपात्र में ताला लगाकर सीलबन्द करते समय कम से कम दो प्राधिकृत सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर आवश्यकतानुसार सीसीटीवी की भी व्यवस्था की जा सकती है।
  - दानपात्र को माह में न्यूनतम एक बार अवश्य सार्वजनिक रूप में खोला जाएगा। दानपात्र को खोलने के लिए निम्नानुसार सामान्य समिति प्राधिकृत होगी:–
    - देवस्थान निरीक्षक/प्रबंधक
    - पुजारी/पुजारी समूह
    - राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा प्राधिकृत अन्य राजकीय विभाग का अधिकारी अथवा लेखा विभाग का कार्मिक
  - दानपात्र को खोलने के संबंध में एक पंजिका या रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें निम्न तालिका में सूचना अंकित की जायेगी–

क.सं.	दिनांक	प्राप्त राशि	राशि जमा कराने का विवरण	उपस्थित सदस्यों के नाम	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

इसमें आवश्यकतानुसार गणना के समय वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिये जा सकते हैं।

- दानपात्र मोबाईल रूप में भी रखे जा सकते हैं अर्थात् यदि किसी स्थान विशेष पर पर्व या उत्सव पर कोई मेला लगने वाला हो या श्रद्धालुओं की अधिक संख्या आने

वाली हो, तो वहां किसी अन्य मंदिर से अथवा रिजर्व से दानपात्र/ अतिरिक्त दानपात्र लगाए जा सकते हैं।

- मंदिरों की संख्या अधिक होने से एक साथ समस्त मंदिरों में दानपात्र लगाया जाना संभव न होने से उनमें चरणबद्ध रूप से दानपात्र लगाए जा सकेंगे, जिनमें अधिक श्रद्धालुओं वाले मंदिरों अथवा अधिक संभावना वाले मंदिरों को प्राथमिकता से लिया जाएगा।
- प्रत्येक स्थिति में आय–व्यय का विवरण पारदर्शी, नियमानुसार एवं सार्वजनिक रखा जाएगा। आय–व्यय की पारदर्शिता हेतु देवस्थान विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट पर ऑनलाईन सुविधा विकसित की जाएगी, जिसमें संबंधित सदस्यों द्वारा नियमानुसार अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

2 **रसीद बुक/पंजिका**– दान की प्रेरणा हेतु आवश्यक रसीद बुक भी रखी जानी चाहिए। इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

- रसीद बुक आवश्यक रूप से देवस्थान विभाग द्वारा समुचित नम्बर एवं प्रारूप में जारी की हुई होगी, साथ ही उसमें उनके अधिक श्रद्धालुओं वाले मंदिरों में मंदिर का नाम व राशि प्री–प्रिंटेड रूप में भी डिजाईन किया किया जा सकता है, जो टोकन की तरह जारी किया जा सके।
- दान की प्रेरणा हेतु उचित होगा कि रसीद बुक को भी सुंदर और सुरूचिपूर्ण रूप में डिजाईन किया जाए, जिसे दानदाता दान के प्रमाण पत्र के रूप में फ्रेम करा कर लगा सके।
- मंदिर के प्रबंधक व पुजारी को इस संबंध में मासिक सूचना देनी आवश्यक होगी कि कुल कितनी रसीदें काटी गई। रसीद बुक समाप्त होने के उपरान्त इसकी पावती वापस देवस्थान विभाग में जमा करानी होगी। समस्त दान दाताओं के नाम और राशि की एन्ट्री देवस्थान विभाग द्वारा विहित वेबसाईट पर की जायेगी।

3 **ऑनलाईन दान हेतु पेमेन्ट गेटवे–** देवस्थान विभाग द्वारा ऑनलाईन दान प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार की अनुमति से पृथक बैंक अकाउन्ट संचालित किया जायेगा। इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

- विभागीय वेबसाईट पर जिले वार /मदिर वार चयन कर दान का विकल्प दिया जाएगा। दानदाता सीधे सामान्य रूप में भी देवस्थान विभाग को दान दे सकेगा।
- देवस्थान विभाग द्वारा ऑनलाईन दान प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित पेमेन्ट गेटवे राजस्थान पेमेन्ट पोर्टल का उपयोग करेगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- दान हेतु मंदिर के चयन के अतिरिक्त दान के प्रयोजन को भी चुनने का विकल्प दिया जाएगा, जो मुख्यतः 2 हिस्सों में विभक्त होगा– **मंदिर के अंतर्गत कार्य अनुसार** तथा **व्यक्तिगत कामना के अनुसार।** इसमें भी प्रथम को धर्मार्थ और पुण्यार्थ 2 रूपों में वर्गीकृत किया जाएगा।

  इसके लिए बनाये जाने वाले वेबपेज का प्रारूप **संलग्न** है।
- दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दानकोष में प्राप्त दान की राशि को आयकर से मुक्त कराने या छूट प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए दानकोष का राज्य स्तरीय **राजस्थान देवस्थान लोक न्यास** गठित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दानदाता से विकल्प लेकर उसके नाम व दान की राशि को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा ई–सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान रखा जाएगा।

4 **सीधे विकास कार्य या सामग्री के रूप में दान–** अनेक दानदाता मंदिर एवं धर्मस्थल तथा श्रद्धालुओं की सुविधा का विकास हेतु सीधे स्वयं कार्य करना चाह सकते हैं।

इसमें सामान्यतः देवस्थान विभाग की मंदिर विकास की नीति तथा अपना धाम, अपना काम, अपना नाम योजना की पालना की जायेगी। सामग्री के रूप में दान को मंदिर के उपयोग में प्रयोग में लाया जा सकता है। मंदिर में वस्तु, आभूषण या अन्य मूल्यवान सामग्री की भेंट पर पुजारी का अधिकार नहीं होगा, उसे वह भेंट या दान देवस्थान विभाग के द्वारा निर्धारित पंजिका या रसीद के माध्यम से भंडार या खाते में जमा कराना होगा। फल, मिष्ठान्न आदि क्षयशील प्रकृति की सामग्री पुजारी स्वयं रख सकता है।

5 **अन्य रूप में प्राप्त दान या सहयोग**– मंदिरों के माध्यम से अनेक लोग पशु–पक्षी की रक्षा उनके लिए आहार, निर्धनों, वंचितों और असहायों के लिए सहयोग प्रदान करना चाह सकते हैं। इस हेतु देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऐसे इच्छुक जन का सहयोग प्राप्त करने हेतु भी आवश्यक सुविधा विकसित की जाएगी। मंदिरों में भी उपलब्ध स्थान एवं सुविधानुसार ऐसे पुण्यार्थ कार्य संचालित किए जाने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पोर्टल पर मानव श्रम या संसाधन के रूप में भी सहयोग के इच्छुक जन का सहयोग प्राप्त करने हेतु भी आवश्यक सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अंतर्गत साफ–सफाई, विकास, कीर्तन, पूजन, भोजन, प्रशिक्षण आदि के लिए सहयोग लिया जा सकेगा।

भाग– ख

–: दान में प्राप्त राशि का उपयोगः–

दान में प्राप्त राशि का उपयोग निम्न कार्यों में किया जा सकेगाः–

1 **मंदिर एवं धर्मस्थल तथा श्रद्धालुओं की सुविधा का विकास**– इस हेतु सामान्यतः देवस्थान विभाग की मंदिर विकास की नीति की पालना की जायेगी।

2 **मंदिर की सामान्य व्यवस्था एवं प्रबंधन**– इसके अन्तर्गत मंदिर की साफ सफाई, पूजा सेवा भोग, बिजली पानी एवं मंदिर से जुड़ी अनुमोदित गतिविधियों पर व्यय किया जा सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि जहां पर इन कार्यों हेतु देवस्थान

विभाग द्वारा नियमित राशि दी जाती है, वहां इस राशि का प्रयोग सहायक आयुक्त देवस्थान के अनुमोदन के उपरान्त ही होगा।

3 **कार्यक्रम आयोजन–** इस हेतु सामान्यतः देवस्थान विभाग की कार्यक्रम आयोजन की नीति की पालना की जायेगी।

4 **दान राशि की व्यवस्था एवं प्रबंधन–** आवश्कतानुसार इस राशि का प्रयोग और दानपात्रों का क्रय करने तथा दान से प्राप्त राशि की ऑनलाईन एन्ट्री कराने में भी किया जा सकता है।

यहां उल्लेखनीय है कि दान राशि का प्रयोग यथानुसार देवस्थान विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा अधिशाषित होगा।

भाग– ग

–: दान/जन सहयोग राशि बढ़ाने हेतु उपाय :–

मंदिर के सरंक्षण एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के विकास हेतु मंदिर में दान/जन सहयोग राशि बढ़ाने हेतु उपाय किया जाना अपेक्षित है इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाया जाना वांछनीय होगाः–

1 **विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन–** इस हेतु सामान्यतः **कार्यक्रम आयोजन** हेतु देवस्थान की नीति की पालना की जायेगी।

2 **समुचित गणमान्य एवं जन सामान्य को मंदिरों से जाड़ा जाना–** इसके लिए दान/जन सहयोग हेतु सक्षम एवं सक्रिय सेवाभावी जन को मंदिरों से जोड़ा जाना वांछनीय होगा। इसमें दानदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, जन प्रतिनिधियों, समाज सेवकों एवं धर्म–अध्यात्म से जुड़े लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। इसमें निरीक्षक अथवा पुजारी स्वयं के स्तर पर समिति भी गठित करने में समर्थ होंगे, जिनमें निरीक्षक अथवा पुजारी स्वयं सदस्य हो सकते है। समिति दान या जन सहयोग प्राप्त करने हेतु अन्य प्रकिया सुझा सकेगी, परंतु वह व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत ही कर सकेगी।

3 **कार्य योजना का प्रदर्शन–** जन सहयोग प्राप्त करने के लिए उचित होगा कि वहां मंदिर में और मंदिर से संबंधित होने वाले सुविधा स्थलों के विकास की समुचित योजना बनाई

जाए। यह योजना किसी मास्टर प्लान और डीपीआर के अतिरिक्त एक सामान्य कार्य सूची के रूप में भी हो सकती है। इसमें समिति एवं जन सामान्य का भी सुझाव लिया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्मित सूची या कार्य योजना का प्रदर्शन मंदिर में एवं वेबसाईट पर सहज दृश्य रूप में किया जाना चाहिए, ताकि उसे देखकर दानदाता कार्य हेतु पहल कर सकें।

4 **जन सम्पर्क एवं प्रचार–प्रसार–** जन सहयोग प्राप्त करने के लिए समुचित प्रचार–प्रसार आवश्यक होता है। इस हेतु आमंत्रण पत्र, केलेण्डर, पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर आदि के अतिरिक्त सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा सकता है।

भाग– घ

–: दान/जन सहयोग राशि बढ़ाने में पुजारी की भूमिका :–

1 दान में प्राप्त होने वाली राशि (मासिक आय) में संबंधित मंदिर के पुजारीगण के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा सकती है।

2 जिन मंदिरों में दान नीति की समुचित पालना हुई हो, वहां उनके मुल्याकंन एवं ग्रेडिंग की व्यवस्था करते हुए पुजारी, प्रबंधक आदि अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु सम्मानित भी किया जाएगा।

दान की सुविधा हेतु देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाइट का पेज.

दान करें

"तेरा तुझको अर्पण"

मैं निम्न तीर्थ स्थल के लिए सार्वजनिक सुविधा, मानव सेवा व विकास हेतु देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार को दान की राशि की सहमति देता हूँ.

(उक्त राशि मंदिर प्रन्यास को न दी जाकर राज्य द्वारा जन सुविधा विकास एवं प्रबन्धन के लिए व्यय होगी.)

- **मंदिर का चयन कर दान**
- **प्रमुख मंदिरों के तीर्थ स्थल (Default) में से चयन कर दान**

प्रमुख मंदिरों के तीर्थ स्थल

क्र.सं.	मंदिर/ देव	दान की राशि
1	श्रीनाथ जी, नाथद्वारा, राजसमंद	
2	श्री साँवलिया जी, चित्तौडगढ़	
3	श्री सालासर बालाजी, चूरू	
4	श्री मेंहदीपुर बाला जी, दौसा	
5	श्री खोल के बाला जी, जयपुर	
6	श्री त्रिपुरासुंदरी, बांसवाड़ा	
7	श्री मदन मोहन जी, जयपुर	
8	श्री गोविंद देव जी, जयपुर	
9	श्री नहर वाले गणेश जी, जयपुर	
10	श्री मोती डूंगरी गणेश जी, जयपुर	

11	श्री गोगाजी, गोगा मेड़ी, नोहर, हनुमानगढ़	
12	श्री ब्रह्मा जी, पुष्कर, अजमेर	
13	श्री खाटू श्याम जी, सीकर	
14	श्री रामदेव जी, रामदेवरा, जैसलमेर	
15	श्री कैला देवी, करौली	
16	श्री मदन मोहन जी, करौली	
17	श्री एकलिंग जी, उदयपुर	
18	श्री करणी माता, देशनोक, बीकानेर	
19	श्री लक्ष्मी नाथ जी, बीकानेर	
20	श्री नागणेचा माता जी, बीकानेर	
21	श्री नागणेचा माता जी, बाड़मेर	
22	श्री केशवराय, केशवरायपाटन, बूँदी	
23	श्री चौथ माता, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर	
24	श्री बेणेश्वरधाम, डूंगरपुर	
25	श्री गोटिया अम्बा महादेवजी, बांसवाड़ा	
26	श्री रूपनारायणजी, सेवन्त्री, राजसमन्द	
27	चारभुजा मंदिर, गढबोर, राजसमंद	
28	श्री मातृ कुण्डिया, चित्तौड़गढ	
29	श्री बिहारी जी, भरतपुर	
30	श्री राजकालेश्वर जी, टोंक	
31	श्री डिग्गी कल्याणजी, मालपुरा, टोंक	
32	श्री बिहारी जी, भरतपुर	
33	श्री गंगा जी, भरतपुर	
34	श्री लक्ष्मण जी, भरतपुर	
35	श्री सूर्य मंदिर, झालरापाटन, झालावाड़	
36	श्री झरनेश्वर महादेव मंदिर, झालावाड़	

37	श्री चौपडा महादेव जी, धौलपुर	
38	श्री विष्णु जी	
39	श्री शिव जी	
40	श्री ब्रह्मा जी	
41	श्री कृष्ण जी	
42	श्री राम जी	
43	श्री देवी जी	
44	श्री काली माता	
45	श्री दुर्गा माता	
46	श्री लक्ष्मी माता	
47	श्री सरस्वती माता	
48	श्री शीतला माता	
49	श्री गायत्री माता	
50	श्री गोरख नाथ जी	
51	श्री हनुमान जी	
52	श्री गणेश जी	
53	श्री भैरव जी	
54	सिद्ध-संत/ ऋषि जी	
55	लोक देवता	
56	अन्य देव	
	देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार	

दान का उद्देश्य- (व्यक्तिगत)

- तन-मन-धन का संवर्धन
- स्वास्थ्य
- सफलता
- समृद्धि
- प्रसिद्धि

- प्रीति
- मुक्ति
- संतति
- ग्रहशांति
- सौहार्द
- गुण अर्जन
- सुरक्षा
- विकास
- पूर्वज-परिजन स्मृति
- मांगलिक उत्सव
- मनोकामना पूर्ति
- विविध

दान का प्रयोजन (मंदिर संबधी)

- **धर्मार्थ-**
    - आरती
    - भोगराग-शृंगार
    - विकास-निर्माण
- **पुण्यार्थ-**
    - वृक्षारोपण
    - पक्षियों के लिए दाना
    - गायों के लिए चारा
    - ग़रीबों के लिए भोजन-वस्त्र
    - चिकित्सा सहायता
    - प्राणियों के लिए सेवा
    - आजीविका-पुनर्वास
    - मानव सेवा
- विविध
-